United Provinces Service of Engineers (Building and Roads Branch) Class-II Rules, 1936

9

सहायक अभियंता (विद्युत/यॉंत्रिक) सेवा नियमावली - 1993

उत्तर प्रदेश सरकार

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या - 1055 ईबीआर/23-3-93-10 वि/74

लखनऊ . दिनांक 17 मई, 1993

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यॉंत्रिक शाखा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता (विद्युत और यॉंत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (एक) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता (विद्युत और यॉंत्रिक शाखा) सेवा नियमावली, 1993 कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियंता (विद्युत और यॉंत्रिक शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(ग) 'आयोग का तात्पय' उत्तर प्रदेश सेवा आयोग से है;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है;

(ङ) 'सरकार' का तांत्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता (विद्युत और यॉंत्रिक शाखा) सेवा से है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की

अवधि से है।

भाग – दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

परन्तु;

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग – तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(एक) 66$^{2}/_{3}$ प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (यांत्रिक) में से उनके अपने-अपने संवर्ग की सदस्य संख्या के अनुपात में, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) 8$^{1}/_{3}$ प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अवर अभियंता (विद्युत) और अवर अभियंता (यांत्रिक) में से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या जो विद्युत अभियंत्रण शाखा या यांत्रिक अभियंत्रण शाखा में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) के एसोसिएट मेम्बर्स हों और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यदि अपेक्षित अर्हता रखने वाले उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो रिक्तियाँ खण्ड (दो) में उल्लिखित स्रोत से भरी जा सकती है।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग – चार – अर्हताएँ

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रका का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएँ

8. पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्न अर्हताएँ होनी आवश्यक है :-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विद्युत या याँत्रिक अभियाँत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि हो,

या

विद्युत या याँत्रिक अभियाँत्रिकी में सिटी एण्ड गिल्ड इन्स्टीट्यूट (इम्पीरियल कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलॉजी, साउथ केनसिंगटन) की सहयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण हो,

या

विद्युत या याँत्रिक-अभियाँत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लन्दन की सहयुक्त सदस्यता परीक्षा के 'क' और 'ख' खण्ड उत्तीर्ण हो।

या

विद्युत अभियाँत्रिकी या याँत्रिक अभियाँत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का पूर्णतया अर्ह सहयुक्त सदस्य हो,

या

विद्युत या याँत्रिकी अभियाँत्रिकी में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की खण्ड 'क' और 'ख' उत्तीर्ण हो।

अधिमानी अर्हताएँ

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो

शारीरिक स्वस्थता

10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष को, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बत्तीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा

समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होनां चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवन्नन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले,

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग - पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधे भर्ती की प्रक्रिया

15. (एक) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।

(दो) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।

(तीन) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लियें जाने के पश्चात आयोग नियम 6 अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

(चार) आयोग अभ्यर्थियों की उसकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्र...

संयुक्त च... सूची

नियुक्ति

परिवीक्षा